संख्या: 924 /2020/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3 दिनांक: 18 मई, 2020

विषय: गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03 मई, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17 मई, 2020 के क्रम में उक्त दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानो के साथ लागू किया जाए:-

1. **लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक जारी रहेगा।**
2. **निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-**
   - (i) समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर-एम्बूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।
   - (ii) मेट्रो रेल सेवायें।
   - (iii) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि; यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।
   - (iv) सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा

क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थों की केवल होम-डिलीवरी करने की अनुमति होगी।

(v) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। यद्यपि खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नही होगी।

(vi) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।

(vii) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

3. **निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेन्ट जोन के सिवाय) प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जायेगी-**

(i) राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री-वाहनों एवं बसों का अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगें।

(ii) राज्यों द्वारा निर्धारित किये गये यात्री-वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगें।

(iii) Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा (**संलग्नक-1**)।

4. **कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन-**

(i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ii) निर्धारित जोन के अन्दर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला-प्रशासन द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जाएगा।

(iii) कन्टेन्मेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है:-

शहरी क्षेत्र

(1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।

(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

ग्रामीण क्षेत्र

(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा।

(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें।

(iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

(v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी।

(vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

5. **रात्रि-निषेधाज्ञा-**

सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

6. **संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा-**

(i) समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

7. **अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों जिन्हें अन्यथा निषेधित न किया गया हो, को अनुमति होगी-**

(i) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जावेगी।

(ii) पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

(iii) समस्त बाज़ार को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगें।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।

(v) सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा।

(vi) शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।

(vii) रेस्टॉरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) बारात घर खोले जायेंगें लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

(ix) स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।

(x) नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

(xi) पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियो तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

(xii) नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया के अन्दर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिसके विस्तृत आदेश सम्बन्धित जिला प्रशासन जारी करेगा।

(xiii) प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।

8. **आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग-**

(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।

(iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

9. **कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश-**

(i) राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी (medical professionals), नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।

(ii) समस्त प्रकार के माल/ माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।

(iii) किसी भी प्रकार के माल/ माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।

10. समस्त बाज़ार को इस प्रकार से खोला जाए कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

11. **गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन-**

(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।

(ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला-मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यपालक-मजिस्ट्रेटों को Incident Commanders के रूप में तैनात करेंगे। Incident Commanders अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

12. **कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक-**

कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-2)।

13. **दण्डात्मक प्रावधान-**

लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण **(संलग्नक-3)** में दिये गए है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह

Annexure I

Standard Operating Procedures (SOPs) issued by MHA

i. SOP on transit arrangement for foreign national(s) in India issued vide Order dated April 02, 2020.

ii. SOP on movement of stranded labour within States/ UTs, issued vide Order dated April 19, 2020.

iii. SOP on sign-on and sign-off of Indian seafarers, issued vide Order dated April 21, 2020.

iv. SOP on movement of stranded migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons, issued vide Order dated April 29, 2020 and Order dated May 01, 2020.

v. SOP on movement of Indian Nationals stranded outside the country and of specified persons to travel abroad, issued vide Order dated May 5, 2020.

vi. SOP on movement of persons by train, issued vide Order dated May 11, 2020.

***

17/5/2020

Annexure-2

National Directives for COVID-19 Management

सार्वजनिक स्थल

1. सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
3. कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देगा।
4. शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
5. अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
6. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।
7. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम-से-कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

कार्य-स्थल

8. कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।
9. कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
10. कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं।
11. प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश/सेनिटाइजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा के साथ) की जाए।
12. सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में एवं जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए।
13. समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगें, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।

14. निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे।
15. बैठक (जिनमें ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा/उपस्थिति होने की स्थिति हो) न की जाए।
16. कार्य स्थलों पर नजदीकी क्षेत्र में कोविड-19 के लिए अधिकृत हास्पिटल आदि की सूची उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि यदि किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाएं तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके।
17. ऐसे कार्मिक/कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों को, जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाए उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारन्टाइन सेण्टर चिन्हित कर लिये जाएं।
18. व्यक्तिगत/सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ उपलब्ध रहनी चाहिए।
19. समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।

Annexure III

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

(a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

***